

मांग संख्या 10
मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 1

वन विभाग के न्यायालयीन प्रकरण में डिक्री धन के भुगतान हेतु रूपये 97.00 लाख के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 97,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2

राज्य शासन द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका प्रदाय किये जाने हेतु रूपये 1300.00 लाख एवं साल बीज संग्रहण वर्ष 2003 में साल बीज के व्यापार में हुए घाटे की आधी शेष राशि की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 1545.00 लाख के प्रावधान का निर्णय लिया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 28,45,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3

राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के विकास के अंतर्गत 04 नग वाहन क्रय करने का निर्णय लिया गया है । इस पर रूपये 20.00 लाख का व्यय संभावित है । यह नवीन व्यय का मद है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।